



राजस्थान सरकार  
राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

वेबसाइट : [rscdrc.food.rajasthan.gov.in](http://rscdrc.food.rajasthan.gov.in), गेल आई.डी. [raj-sforum@nic.in](mailto:raj-sforum@nic.in), दूरभाष 0141-2372237

क्रमांक:-एफ 4 (14)रा.आ./स्था./क.सहा./2025/

दिनांक:

कार्यालय आदेश

प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.1(2)प्र.सु./अनु.3/2025-08916 जयपुर, दिनांक 19.09.2025 में दिये गये दिशा निर्देशानुसार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा, 2024 में चयनित अभ्यर्थियों में से इस विभाग को आवंटित निम्नांकित अभ्यर्थियों को राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 के प्रावधानों के अन्तर्गत अस्थायी आधार पर कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर 02 वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer-Trainee) के रूप में नियमित पारिश्रमिक 14600/- प्रतिमाह एवं तत्पश्चात परीवीक्षाकाल अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के पे मैट्रिक्स के लेवल-एल-5 में निम्नांकित शर्तों पर कार्यभार सम्भालने की तिथि से नियुक्त किया जाकर इनका पदस्थापन इनके नाम के सम्मुख अंकित इस विभाग/अधीनस्थ कार्यालय में एतद्वारा किया जाता है:-

क्र. सं.	मेरिट नं.	रोल. नं.	नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	पिता का नाम मय पता	जन्म तिथि	लिंग	श्रेणी	चयनित श्रेणी	पदस्थापन कार्यालय
1.	620	418290	उदयपाल मांझू	श्री अजय कुमार मांझू	07.05.1999	Male	OBC	GEN_A	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, श्रीगंगानगर
2.	845	437251	सुरेश कुमार प्रजापत	श्री कालूराम प्रजापत	30.06.1999	Male	OBC	GEN_A	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सर्किट बैंच, अजमेर
3.	992	439251	राहुल शर्मा	श्री अशोक कुमार शर्मा	06.10.1998	Male	Gen	GEN_A	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बासंवाडा
4.	998	434114	सौरभ कुमार सिंघल	श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता	06.11.1994	Male	EWS	GEN_A	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सिरौही
5.	1021	429532	निखिल कुमार	श्री रमेश कुमार	27.09.2000	Male	OBC	GEN_A	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, धौलपुर
6.	1089	455911	जितेन्द्र यादव	श्री राधे लाल यादव	07.09.1994	Male	OBC	GEN_A	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, कोटा
7.	1535	438911	मोहित कुमार प्रजापत	श्री चन्द्रशेखर प्रजापत	20.08.2002	Male	OBC	OBC_A	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पाली
8.	2301	423127	उषा जाखड़	श्री शीशराम जाखड़	04.11.1991	Female	OBC	GEN_A	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर
9.	2434	455341	विजय लक्ष्मी शर्मा	श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा	21.02.2001	Female	GEN	GEN_A	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, टोंक
10.	2491	415699	सुमन डेलू	श्री प्रभु दयाल डेलू	15.08.1997	Female	GEN	GEN_A	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बीकानेर
11.	2495	427683	सुमन कुमावत	श्री राम प्रसाद कुमावत	05.10.1990	Female	OBC	GEN_A	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सीकर
12.	2997	431258	रजनेश कुमार गुर्जर	श्री ग्यारसी लाल गुर्जर	20.10.1998	Male	MBC	MBC_A	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बैंच, जोधपुर
13.	3002	413709	राजवीर गुर्जर	श्री शिबो	02.02.1998	Male	MBC	MBC_A	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जालौर
14.	4221	461155	मनीष नकवाल	श्री हरि शंकर नकवाल	23.08.1997	Male	SC	SC_A	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बारां
15.	4658	430456	सुशील धवन	श्री बाबू लाल धवन	08.07.1996	Male	SC	SC_A	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बून्दी
16.	4797	414289	पंकज कुमार मीना	श्री बंशी लाल मीना	20.07.1994	Male	ST	ST_A	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, डूंगरपुर
17.	5414	454680	राजेन्द्र प्रसाद मीना	श्री सोदान मीना	18.08.1997	Male	ST	ST_A	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सवाई माधोपुर
18.	5824	434613	मोनिका वर्मा	श्री मदन लाल वर्मा	05.08.1999	Female	SC	SC_A	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर

09.10.2025

- 1 संबंधित सेवा नियमों, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये नियम/आदेश/परिपत्र एवं पदस्थापन आदेशों के साथ जारी किये जाने वाले दिशा-निर्देशों में वर्णित शर्तों की पालना नहीं होने/अपूर्ण होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी के संबंध में नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जाएंगे।
- 2 उक्त नियुक्तियों सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के परिपत्र एफ 11 /एसटी/एससी, ओबीसी,एसबीसी/जा.प्र.प./सामान्यअवि/2015/54159 दिनांक 09.09.20215, पत्रांक 63606-726 दिनांक 20.10.2015 एवं प.11 (204)आरएण्डपी/डीडीवीसी/सान्याअवि/2011/68999-69032 जयपुर दिनांक 11.11.2016 में वर्णित दिशा-निर्देशों/सत्यापन के अध्याधीन पूर्णतया अस्थायी रूप से रहेगी।
- 3 परीवीक्षाकाल (Probation Period) में कोई वार्षिक वेतनवृद्धि देय नहीं होगी।
- 4 यदि अभ्यर्थी का कार्य एवं आचरण परीवीक्षा अवधि में कभी-भी अथवा परीवीक्षाकाल की समाप्ति पर सन्तोषप्रद नहीं पाया गया तो उन्हें बिना किसी क्षतिपूर्ति के सेवा से किसी भी समय विमुक्त किया जा सकेगा।
- 5 परीवीक्षाकाल में अन्य भत्ते (मकान किराया, महंगाई, यात्रा, शहरी क्षतिपूर्ति एवं विशेष वेतन) देय नहीं होंगे।
- 6 राज्य सरकार द्वारा जारी नियमानुसार पेंशन योजना के प्रावधान लागू होंगे एवं अन्य आदेश जो राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये हो उनके अधीन ही सेवा एवं सेवा लाम देय होंगे।
- 7 यदि अभ्यर्थी पूर्व से ही नियमित राजकीय सेवा (केन्द्रीय/राज्य/बोर्ड/निगम/स्वायत्तशासी संस्थान/सार्वजनिक उपक्रम इत्यादि) में कार्यरत है, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार वेतन, भत्ते देय होंगे, परन्तु पदस्थापन हेतु आवंटित कार्यालय में कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोजक के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने का आदेश प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा।
- 8 आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस के अन्दर अभ्यर्थी को अपने पद का कार्यग्रहण करना होगा। किसी कारणवश उक्त समय अवधि में कार्यग्रहण करने में असमर्थ हो, तो कार्यग्रहण काल में अभिवृद्धि हेतु 15 दिवस समाप्ति के 05 दिवस पूर्व प्रार्थना पत्र इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
- 9 उक्त नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/परिपत्रों के अन्तर्गत शामिल होगी एवं समय-समय पर जारी किये गये निर्देश/परिपत्र लागू होंगे।
- 10 अभ्यर्थी के पुलिस विभाग द्वारा चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त करने का अधिकार राज्य सरकार/विभाग के पास सुरक्षित रहेगा, अर्थात् नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्याधीन रहेगी, विपरीत तथ्य पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।
- 11 वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 15 (1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के द्वारा अधिसूचित राजस्थान सिविल सिर्विसेज (संशोधित वेतनमान) नियम 2017 के अन्तर्गत परीवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि के दौरान नियत पारिश्रमिक (फिक्स रेम्यूनेरेशन) देय होगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्च न्यायालय की खण्डपीठ में हुए निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में की गई एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।
- 12 सभी अभ्यर्थियों की जन्म तिथि उनके द्वारा प्रस्तुत सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के मूल प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है। उक्त आधार पर अंकित की गई जन्म तिथि अपरिवर्तनीय होगी।
- 13 उक्त नियुक्ति चरित्र स्व-सत्यापन के संदर्भ में मूल शपथ पत्र ऑन लाईन पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट एवं मूल स्व-घोषणा प्रपत्र प्रस्तुत करने के अध्याधीन प्रोविजनल दी जा रही है।
- 14 अभ्यर्थियों की नियुक्ति तिथि कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यग्रहण की तिथि से मान्य होगी।
- 15 राज्य में अवस्थित बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान एवं राज्य के बाहर के बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी शैक्षणिक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत/ उल्लेखित

09.10.2024

शैक्षणिक दरस्तावेजो एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रो की सम्बन्धित बोर्डो / विश्वविद्यालयो / संस्थानो से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने / सही सन्दर्भित होने के क्रम में उक्त नियुक्ति प्रोविजनल रहेगी। जांच रिपोर्ट में कोई विपरीत तथ्य / मिथ्या सूचना पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त किये जाने के अध्यक्षीन रहेगी।

- 16 उक्त नियुक्ति आदेश माननीय न्यायालयो में विचाराधीन विभिन्न याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णयों के अध्यक्षीन रहेगी।
- 17 अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रो / घोषणा पत्रो में मिथ्या सूचना पाये जाने पर अभ्यर्थी के सेवाकाल के दौरान कभी भी नियुक्ति निरस्त किये जाने की नियमानुसार विधिक / अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 18 अभ्यर्थी को कार्यभार सम्भालने हेतु किसी प्रकार का यात्रा व्यय / अन्य कोई भत्ता देय नहीं होगा।
- 19 परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों में संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे।

Sd-  
(राजेश गुप्ता)  
रजिस्ट्रार

क्रमांक:-एफ 4 (14)रा.आ./स्था./क.स./2025/3130-3170 दिनांक: 09/10/2025  
प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 2 निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 3 निदेशक, उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर।
- 4 शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 5 अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, \_\_\_\_\_ को इस निर्देश के साथ की सम्बन्धित कार्मिक के कार्यग्रहण करने अथवा नहीं करने की सूचना विहित अवधि में इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवायें।
- 6 प्रभारी अधिकारी, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बैंच जोधपुर/सर्किट बैंच \_\_\_\_\_ को इस निर्देश के साथ की सम्बन्धित कार्मिक के कार्यग्रहण करने अथवा नहीं करने की सूचना विहित अवधि में इस कार्यालय को अविलम्ब भिजवायें।
- 7 उप पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 8 सम्बन्धित श्री / श्रीमती / सुश्री \_\_\_\_\_
- 9 लेखा शाखा, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 10 रक्षित पत्रावली।

(राजेश गुप्ता)  
रजिस्ट्रार

09.10.2025